

As/450/0729/1347/17 - 20/2/17

कार्यालय अनुविभागीय
अधिकारी कटनी

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कटनी जिला कटनी (म0प्र0)

रा0प्र0क0/670/अ-2/2015-16

कटनी दिनांक 26/07/2016

आवेदक- कटनी जूड़ो संघ (श्री हास्पिटल एजुकेशनल एण्ड स्पोर्ट्स सेसाइटी कटनी) पंजीयन क्रमांक 3991/1998 द्वारा अध्यक्ष डा0 दीपक सक्सेना आत्मज श्री ललित मोहन सक्सेना सचिव श्रीमति शोभना सक्सेना ध0प0 दीपक सक्सेना निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कटनी ।

बनाम

म0प्र0 शासन

पारित आदेश

दिनांक 26/07 - / 2016



आवेदक कटनी जूड़ो संघ (श्री हास्पिटल एजुकेशनल एण्ड स्पोर्ट्स सेसायटी कटनी) पंजीयन क्रमांक 3991/1998 द्वारा अध्यक्ष डा0 दीपक सक्सेना आत्मज श्री ललित मोहन सक्सेना सचिव श्रीमति शोभना सक्सेना ध0प0 दीपक सक्सेना निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कटनी जिला कटनी द्वारा ग्राम मुरावल रानिमं0 बिलहरी तहसील रीठी जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 258/2, 264 रकवा कमशः 0.76, 0.80 हे0 कुल रकवा 1.76 हे0 भूमि व्यापारिक/औद्योगिक प्रयोजन से शैक्षणिक प्रयाजन में व्यपवर्तन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) एवं 59 के प्रावधानो के अंतर्गत व्यपवर्तन की स्वकृति हेतु आवेदन पत्र अभिलेखो सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया। राजस्व निरीक्षक व्यपवर्तन शाख कटनी से प्रतिवेदन लिया गया तदनुसारप्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मुरावल प0ह0नं0 53 रा0नि0मं0 बिलहरी तहसील रीठी जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 258/2 264 रकवा कमशः 0.76, 0.80 हे0 कुल रकवा 1.76 हे0 भूमि कटनी जूड़ो संघ (श्री हास्पिटल एजुकेशनल एण्ड स्पोर्ट्स सेसायटी कटनी) पंजीयन क्रमांक 3991/1998 द्वारा अध्यक्ष डा0 दीपक सक्सेना आत्मज श्री ललित मोहन सक्सेना सचिव श्रीमति शोभना सक्सेना ध0प0 दीपक सक्सेना निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी कटनी जिला कटनी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखो में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है जिसका व्यपवर्तन इस न्यायालय के रापक0/06/अ-2/2013-14 पारित आदेश दिनांक 26.01.2013 के द्वारा व्यापारिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया था जिसका परिवर्तित भू-राजस्व रु.20,301/- प्रतिवर्ष पंचायत उपकर 10,151/-प्रतिवर्ष प्रमीमियम की राशि रु. 23,683/- निर्धारित की गई थी। आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान वर्ष 2015-16 तक की देय वार्षिक व्यपवर्तन की राशि चालान क्रमांक 603 दिनांक 08.02.2016 भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटनी का प्रस्तुत किया गया है। आवेदक उक्त भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन में उपयोग करना चाहता है। आवेदित भूमि सार्वजनिक या पुरातत्व के महत्व की को ई इमारत नहीं है। सार्वजनिक निस्तार प्रयोजन या रुढ़ीगत प्रयोजन की भूमि नहीं है स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है भूमि पड़ती तथा आवेदक के कब्जे की भूमि है। प्रकरण में अधीक्षक भू-अभिलेख, व्यपवर्तन भूमि परिवर्तन शाखा कटनी द्वारा ग्राम की स्वीकृत मानक दर व प्रीमियम दर से परिवर्तन किये जाने वाले उपयोग के अनुसार सोकाज नोटिस जारी कर परिवर्तित भू-राजस्व, पंचायत उपकर, एवं प्रीमियम की राशि से अवगत कराया गया है। आवेदक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत, घुघरा का पत्र क0/क्यू/2016, दिनांक 01.07.2016 के

सत्यप्रतिनिधि

मुख्य प्रतिनिधिकार
कलेक्टर कटनी

